



UPRB040198042026

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट/ द्वितीय अपर सिविल जज (जू०डि०), रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी-(समरीन फातिमा नोमानी) - उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP3663

Bail Application/3617/2026

HIMANSHU TIWARI URF SHIVANT TIWARI Vs. State
Government

मुकदमा अपराध संख्या-66/2026
धारा-191(3), 115(2), 352, 351(3),
333,109 ,110 बी०एन०एस०।
थाना-जगतपुर, जनपद-रायबरेली।

दिनांक-20.08.2026

अभियुक्त हिमान्शू तिवारी पुत्र सुरेन्द्र तिवारी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-66/2026, धारा-191(3), 115(2), 352, 351(3), 333,109 ,110 बी०एन०एस०, थाना-जगतपुर, जिला-रायबरेली के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-66/2026, धारा-191(3), 115(2), 352, 351(3), 333,109 ,110 बी०एन०एस० में जमानत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत की याचना की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का गैर जमानती व सत्र परीक्षणीय है। अभियुक्त जिला कारागार, रायबरेली में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त हिमान्शू तिवारी पुत्र सुरेन्द्र तिवारी मुकदमा अपराध संख्या-66/2026, धारा-191(3), 115(2), 352, 351(3), 333,109 ,110 बी०एन०एस०, थाना-जगतपुर, जिला-रायबरेली के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(समरीन फातिमा नोमानी)
द्वितीय अपर सिविल जज (जू०डि०),
रायबरेली।
J.O. Code- UP3663